राजस्व वाद संख्याः— 163 / 2021
ओमप्रकाश वगै0 बनाम होशियार सिंह वगै0
निर्णय दिनांकः— 15.06.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

ासीन अधिकारी :—

कविता गोदारा, (आर.ए.एस.)

जस्व वाद सं.— 163 / 2021

1. ओमप्रकाश पुत्र अमीलाल आयु 35 वर्ष।
2. सुबेसिंह पुत्र अमीलाल आयु 46 वर्ष।
3. सुभाष पुत्र अमीलाल आयु 40 वर्ष।
4. नानूडी पत्नी अमीलाल आयु 66 वर्ष।

समस्त जाति जाट हाल निवासी धिन्धवा बिचला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

— वादीगण

बनाम

1. होशियार सिंह पुत्र अमीलाल आयु 43 वर्ष जाति जाट हाल निवासी धिन्धवा बिचला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लुहारू रोड पिलानी जरिये शाखा प्रबन्धक बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

— प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बटंवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

:: निर्णय ::

दिनांक — 15.06.2023

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि—

(क) यह कि विवादित भूमि खेत ख0न0 230 रकबा 3.67 है0, ख0न0 334 / 263 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.05 है0 स्थित ग्राम धिन्धवा बिचला में वादी एवं प्रतिवादीगण न0 01 के मध्य राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार व भौतिक विभाजन के अनुसार बाई मीट्स व बाई बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया जाकर वादी का राजस्व रिकोर्ड अलग दर्ज किया जाकर वादी को विभाजन में प्राप्त हिस्से की भूमि पर अलग से कब्जा दिलाया जाकर अलग लगाान कायम किया जाना फरमाया जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण न0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वदीगण के हिस्से की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा कारि ना करें।

(ग) यह कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

(ग) यह कि अन्य सिद्वी जो वादीगण के हक में हो तथा किसी कारणवश भूल से चाही जाने से रह गई हो वह भी धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवायी जावें।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 1 की और से इकबानीया जवाब पेश किया गया। जिसके अनुसार वर्णित भूमि का खाता विभाजन किया जाता है तो प्रतिवादी नं. 1 को कोई आपति नहीं है। शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस एवं विभाजन प्रस्ताव।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 की और से इकबानीया जवाब पेश किया गया। जिसके अनुसार वर्णित भूमि का खाता विभाजन किया जाता है तो प्रतिवादी नं. 1 को कोई आपति नहीं है। दावे पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः विवादित भूमि खेत ख0न0 230 रकबा 3.67 है0, ख0न0 334/263 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.05 है0 वाके ग्राम धिन्धवा बिचला तहसील सूरजगढ़ का वादी एवं प्रतिवादीगण न0 01 का तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमांक भू.अ./2022/2595 दिनांक 31.10.2022 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 15.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः– 163/2021
ओमप्रकाश वगै0 बनाम होशियार सिंह वगै0
निर्णय दिनांकः– 15.06.2023

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 163/2021

निर्णय दिनांक :– 15-06-2023

ओमप्रकाश वगै0 **बनाम** होशियार सिंह वगै0

दावा बाबत बटंवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री रामेश्वर दयाल एड0** व प्रतिवादी सं. 01 स्वयं उपस्थित, की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 15.06.2023 को **कविता गोदारा, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः विवादित भूमि खेत ख0न0 230 रकबा 3.67 है0, ख0न0 334/263 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.05 है0 वाके ग्राम धिन्धवा बिचला तहसील सूरजगढ़ का वादी एवं प्रतिवादीगण न0 01 का तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमांक भू.अ./2022/2595 दिनांक 31.10.2022 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ